अनुदान संख्या 17 – संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 17 - MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2953,21,00		2953,24,00	2434,49,98	-518,74,02
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					476,34,02
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	89,14,00		89,15,00	65,89,95	-23,25,05
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19,00,98

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला और संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	273176.00			
पू.	S.	2.00	243235.38	239296.69	-3938.69
पु.	R.	-29942.62			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	17550.00			
पू.	S.	1.00	49.82	..	-49.82
पु.	R.	-17501.18			

(I) ₹30759.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹28985.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :–

(I) Provision of ₹30759.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020) remained wholly unutilised under twenty four heads; of these ₹28985.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2205"

(क) "सार्वजनिक पुस्तकालय – पुस्तकालय और अभिलेखागार का विकास" – ₹10500.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "संग्रहालय का विकास" – ₹1160.00 लाख; और

(ii) "पुस्तकालय और अभिलेखागार का विकास" – ₹800.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित चरण में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(A) Major Head "2205"-

(a) "Public Libraries - Development of Libraries and Archives" - ₹10500.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Development of Museums"- ₹1160.00 lakhs; and

(ii) "Development of Libraries and Archives" - ₹800.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to less receipt of proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "कला तथा संस्कृति – कला और संस्कृति का संवर्धन" –

(i) "कला संस्कृति विकास योजना" – ₹3152.00 लाख;

(ii) "स्वायत्त निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय" – ₹9505.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "कला तथा संस्कृति – सार्वजनिक पुस्तकालय – स्वायत्त निकाय" – ₹750.00 लाख;

(ग) "कला तथा संस्कृति – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – प्राचीन स्मारकों का संरक्षण" – ₹756.00 लाख;

(घ) "कला तथा संस्कृति – संग्रहालय" –

(i) "संग्रहालयों का विकास" – ₹1300.00 लाख; और

(ii) "स्वायत्त निकाय" – ₹1062.00 लाख;

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "कला तथा संस्कृति का संवर्धन – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹2790.04 लाख की बचत (₹16452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गांधी शांति पुरस्कार तथा टैगोर सम्मान को अंतिम रूप न दिए जाने, कलाकार पेंशन स्कीम के लिए अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने, कम संख्या में

(B) Major Head "2552" -

(a) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture" -

(i) "Kala Sanskriti Vikas Yojana"- ₹3152.00 lakhs;

(ii) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - ₹9505.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) "Art and Culture - Public Libraries - Autonomous Bodies" - ₹750.00 lakhs;

(c) "Art and Culture - Archaeological Survey of India - Conservation of Ancient Monuments"- ₹756.00 lakhs;

(d) "Art and Culture - Museums"-

(i) "Development of Museums"- ₹1300.00 lakhs; and

(ii) "Autonomous Bodies" - ₹1062.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2205" - savings occurred under the following heads-

(A) "Promotion of Art and Culture - Kala Sanskriti Vikas Yojana" - saving of ₹2790.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16452.00 lakhs) was due to non finalization of Gandhi Peace Prize and Tagore Award, receipt of incomplete proposals for

जीएसटी प्रतिपूर्ति दावे प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

artist's pension scheme, receipt of less GST reimbursement claims and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(खा) "सार्वजनिक पुस्कालय" –

(B) "Public Libraries"-

(क) "स्वायत्त" निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय" – ₹1178.42 लाख की बचत (₹11388.33 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्रलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies"- saving of ₹1178.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11388.33 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(ख) "पुस्तकालय तथा अभिलेखागार – राष्ट्रीय पुस्तकालय" – ₹1055.95 लाख की बचत (₹5027.33 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Library and Archives - National Library"- saving of ₹1055.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5027.33 lakhs); and

(गा) "पुरातत्व सर्वेक्षण – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय" – ₹876.66 लाख की बचत (₹41942.83) हुई।

(C) "Archaeological Survey - Directorate of Archeological Survey of India" - saving of ₹876.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41942.83 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्रलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(घा) "संग्रहालय" –

(D) "Museums"-

(क) "संग्रहालय – राष्ट्रीय संग्रहालय" – ₹588.59 लाख की बचत (₹4700.61 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एलटीसी दावों, बिजली तथा पानी के बिलों, स्टेशनरी मदों की कम प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने और रिक्त पदों का न भरे जाने के कारण हुई।

(a) "Museums - National Museum"- saving of ₹588.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.61 lakhs) was due to less receipt of LTC claims, electricity and water bills, stationary items, less tours undertaken and non-filling up of vacant posts.

(ख) "संग्रहालयों का विकास" – ₹14176.68 लाख की बचत (₹23219.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) म्यूजियम स्कीम में संग्रह प्रबंधन सॉफ्टवेयर में कम निधियों की आवश्यतकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में

(b) "Development of Museums"- saving of ₹14176.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23219.00 lakhs) was due to requirement of less funds in collection management software in Museum Scheme

कटौती किए जाने के कारण हुई।

and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(ग) "स्वायत्त निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय" – ₹1568.81 लाख की बचत (₹30270.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संग्रहालय के विभिन्न भागों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कमी के कारण कार्य–निष्पादन न होने के कारण हुई।

(c) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies"- saving of ₹1568.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30270.57 lakhs) was due to non-execution of work owing to shortage of staff and officers in various segments of Museums.

(ड.) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹1267.41 लाख की बचत (₹2350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Kala Sanskriti Vikas Yojana"- saving of ₹1267.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2350.00 lakhs); and

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कला संस्कृति विकास योजना" – ₹617.39 लाख की बचत (₹820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई।

(F) "Tribal Area Sub-Plan - Kala Sanskriti Vikas Yojana" - saving of ₹617.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹820.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non/less receipt of proposals from implementing agencies and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(छा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – वैश्विक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" – ₹978.80 लाख की बचत (₹2119.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परामर्शदाता/डीईओ लिए जाने, कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(G) "International Cooperation - Global Engagement and International Co-operation" - saving of ₹978.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2119.00 lakhs) was due to hiring of less consultants/DEOs, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1553.05 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक थी।

(III) Under four heads saving of ₹1553.05 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 57 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5712.33 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2205" – "कला तथा संस्कृति का संवर्धन – स्वायत्त निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय" के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक

2.(I) The above savings were partly (₹5712.33 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2020 under Major Head "2205" - "Promotion

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5514.67 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :—

(का) "पुरातत्व — सर्वेक्षण"

(क) "प्राचीन संग्रहालयों का संरक्षण" — ₹616.50 लाख का अधिक व्यय (₹54910.68 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "पुरातत्व संग्रहाल" — ₹502.23 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संग्रहालयों/प्रदर्शिनियों की स्थापना तथा वीईएम, सारनाथ, लाल किले और मेटकाफ हॉल में खोले गए नए संग्रहालयों की देखरेख के लिए अतिरिक्त, निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹273.21 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :—

of Art and Culture - Autonomous Bodies and Grantee Bodies". Actual excess, however, was ₹5514.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2205" under the following heads:-

(A) "Archaeological Survey"

(a) "Conservation of Ancient Monuments"- excess of ₹616.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54910.68 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Archaeological Museum" - excess of ₹502.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards setting up of Museums/Exhibitions and maintenance of newly opened Museums at VEM, Sarnath, Red Fort and Metcalf Hall and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head excess of ₹273.21 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	8914.00			
पू.	S.	1.00	7014.02	6589.95	-424.07
पु.	R.	-1900.98			

(I) ₹360.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹360.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) "कला तथा संस्कृति" के अंतर्गत – बचतें निम्नतलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under "Art and Culture" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सम्बद्ध कार्यालय" – ₹1843.96 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Archaeological Survey of India - Attached Office" - saving of ₹1843.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs; and

(खा) "अन्य व्यय – भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण" – ₹703.41 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Other Expenditure - Anthropological Survey of India" - saving of ₹703.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹396.41 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹396.41 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1445.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 में "कला तथा संस्कृति – अन्य व्यय –

4. The above savings were partly (₹1445.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

कला संस्कृति विकास योजना" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1264.88 लाख था।

obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2019 under "Art and Culture - Other Expenditure - Kala Sanskriti Vikas Yojana". Actual excess, however, was ₹1264.88 lakhs.